राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय : एक परिचय

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर,छत्तीसगढ के प्राकृतिक वैभव से सम्पन्न सरगुजाचंन में हरीतिमा से ओतप्रोत परिदृश्य में स्थित है। महाविद्यालय की स्थापना सन् 1960 में स्नातक महाविद्यालय के रूप में हुई थी। सन् 1973 में शासन द्धारा इसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई। प्रारम्भ में यह महाविद्यालय सागर विश्व विद्यालय से सम्बद्ध रहा। सन् 1983 तक यह रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध रहा तथा 2008 तक गुरू घासीदास विश्व विद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध रहा। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय,अम्बिकापुर से सम्बद्ध है।

महाविद्यालय में चार संकायों कला, वाणिज्य, विज्ञान तथा विधि में अध्यापन की व्यवस्था है।

शासन के मार्गदर्शन तथा जिला प्रशासन,नागरिकों,जनप्रतिनिधियों एवं महाविद्यालय परिवार के बहुमूल्य सहयोग से महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जनभागीदारी समिति का गठन इसी दिशा में एक ठोस कदम है। महाविद्यालय का मुख्य भवन अम्बिकापुर- मनेन्द्रगढ़ रोड पर और इसका एक खण्ड विद्यावृत अम्बिकापुर- बनारस रोड़ पर स्थित है। 2009- 10 का वर्ष महाविद्यालय का गौरवपूर्ण स्वर्ण जयंती वर्ष था। महाविद्यालय के पास स्वयं के दो भवन तथा 42 एकड भूमि में फैला एक विशाल खेल मैदान, जिम्नेजियम तथा हॉकी स्टेडियम है। वर्तमान में जनभागीदारी समिति द्वारा निर्मित अध्यापन कक्षों (भूतल एवं प्रथम तल) का निर्माण किया गया है। 100 छात्रों हेतु छात्रावास है। 50 शय्या का महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सामान्य विवरण-

- 01. महाविद्यालय में चार संकायों के अंतर्गत अध्ययन की चूर्विधा है ये संकाय है कला, विज्ञान,वाणिज्य, विधि एवं कम्प्यूटर विज्ञान। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इंदिस्त्र,भूयोली मनी किन्नु समाज शास्त्र एवं संस्कृत विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक शास्त्र इलेक्ट्रानिक, वनस्पति शास्त्र , रस्मर्यन अस्त्री, गणिन,जाणि शास्त्र एवं भूगी सम्बद्धा, विज्ञात वर्षो में योग्य, कुशल एवं अनुभवी प्राध्यापकों के शिक्षण और मार्गदर्शन से छात्रों ने निरंद्र उत्तम परीक्षाफल तथा शोध उपाधियो स्वस्तित कर महाविद्यालय तथा क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।
- 02. सन् 1994–95 से स्नातकोत्तर कक्ष्मिर प्रशासी प्रणानी के अंदर्श हैं हैं। सन्तर्क कक्षाओं हेतु विषयों का चयन महाविद्यालय द्धारा निर्धारित विषय समूह के अंतर्गत ही विषय को निर्मे के लिए सक्षम होगा।
- 03. महाविद्यालय में 2006-07 से सेमेस्टर प्रणाली जान, है। इस्सेट जिस्सेट किया जातर के प्रायिक विषय में चार सेमेस्टर होंगे। प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा माह नवम्बर/दिसम्बर तथा दिसीय (चार्थ समेस्टर की किया आहें) किया आहें। प्रायिक होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अधिकतम 80 अंकी में अनुस्तान अने अक प्राय्व किया किया विषय के प्रश्निम में आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित किये गये हैं। उत्तीर्ण होने के लिए द्वारा की आहें। अस्ति के मूल्यांक के महाविद्या में मुख्यांक के मूल्यांक के मूल्यांक के मूल्यांक के मिर्ग में मुख्यांक में मुख्यांक के मिर्ग में मुख्यांक मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक मुख्यांक में मुख्यांक मुख्यांक मुख्यांक मुख्यांक में मुख्यांक में मुख्यांक मुख्यांक
- 04. इसी प्रकार स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी कवल उन्हीं शैक्षणिक प्रस्क पत्रसीय की अनुमति दी जीवेगी, जिनके अध्यापन के लिए महाविद्यालय में सभी दृष्टियों से पर्याप्त सुविधा होगी
- 06. महाविद्यालय के सूचारू रूप से संचाल, हितु एक प्रविद्यारकत, मेर्ड है जो प्रवेश एवं अनुशासन् के रेबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है।
- 07. एन.सी.सी. की एक कम्पनी है जिनमें कर 10 कियारी प्रवेश प्राप्त कर मनेते एक मा.सी. की जतिविधियों का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण एन.सी.सी. अधिकारी द्धारा किया जावेगा। एन.सी.सी. उधिकारी के मिन्द्रशान में प्रत्येक विद्यार्थ सामाजिक सेवा एवं दैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में नियमित रूप ने उपस्थित इसके लिए सम्प्रयुक्त तरीके से निर्देशों के नालन करें
- 08. राष्ट्रीय सेवा योजना की वा इकाईयाँ है । प्रत्येक में 100 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है । राष्ट्रीय मेन योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण योजना,शिविर कार्यक्रम एवं सामान्य व्यवस्था का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करेंगे। इस इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी सदस्य योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रूचि लेकर पारस्परिक सहयोग से भी योजनाओं को निष्ठा से पूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करेंगे।
- 09. विभिन्न प्रकार के ढेय शुल्क,शुल्क मुक्ति प्रवेश के नियम एवं मार्गढर्शन सिद्धांत आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि अनुशासन संबंधी नियम उपस्थिति महाविद्यालयीन एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप सभी की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्त्तव्य है कि इनसे भली-भॉति अवगत हो।

विषय चयन में विश्वविद्यालय का बंधन-

बी.ए. प्रारम्भिक एवं बी.एस–सी. प्रारम्भिक कक्षाओं में विश्व विद्यालय द्धारा निर्धारित ग्रुप/समूह के अंतर्गत ही प्रवेश मान्य होगा – <u>अनिवार्य</u> (1) आधार पाठ्यक्रम: हिन्दी भाषा तथा। अंग्रेजी भाषा (2) पर्यावरण अध्ययन बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम.प्रथम वर्ष

- बी.ए. प्रारम्भिक निम्नांकित विषयो मे से किन्ही तीन विषयो का चयन करें किन्तु साहित्य के तीनो विषयों का एक साथ चयन मान्य नही है।
 (1) समाज शास्त्र(2) अर्थशास्त्र (3) राजनीतिशास्त्र (4) इतिहास (5) भ्रुगोल (6) हिन्दी साहित्य (7) अंग्रेजी साहित्य (8) संस्कृत (9) मनोविज्ञान
- 3. बी.एस-सी. प्रारंम्भिक (गणित समूह)
 - (1) भौतिक शास्त्र , गणित , इलेक्ट्रॉनिक (2) भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित (3) भौतिक शास्त्र , भू गर्भ शास्त्र, गणित
- 4. बी.एस-सी. प्रारंभिक (बायो समूह) (1) रसायन , प्राणिशास्त्र , वनस्पति शास्त्र (2) रसायन , वनस्पतिशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र

- कला/विज्ञान /वाणिज्य द्धितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमित नहीं हैं।
- 6. महाविद्यालय में निम्न विषयों में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध हैं।
 - (अ) हिन्दी
- (ब) अर्थशास्त्र
- (स) अंग्रेजी
- (द) इतिहास
- (इ) भूगोल

- (क) वाणिज्य
- (ख) गणित
- (ग) रसायन शास्त्र
- (घ) वनस्पति शास्त्र
- (ड) राजनीति शास्त्र

(च) भौतिक

छत्तीसगढ़ के शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

नोट:- छ.ग.वि.वि.अधिनियम १९७३ के प्रावधानों के तहत् सत्र २०१७- १८ के लिए प्रवेश के नियम एवं सिद्धान्तों का विवरण शासन से प्राप्त होने पर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावेगा, तब तक के लिए शासन एवं विश्वविद्यालय से उपलब्ध प्रवेश नियम लागू रहेगें।

१. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ के सभी शासकीय / वशासकीय मुझिन्दालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त्र का चूर्य इंग्का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अश्रासकीय है। विकालयों को कड़ाई से पालन करने होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कुसाओं के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से हैं।

2. प्रवेश की तिथि:-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करने :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 जुलाई तक क्रांचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपित कि अनुमित से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्ष्मिक कि जन से प्रमुंग होंगा) परीक्ष्म परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 10 दिन तक अर्थवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहन हो मान्य के भी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मकारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुरेशों को का कि प्रवेश होने के हिन्द कि कि कि स्थान तिथि के मूर्व स्वाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है किन्तु रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक ,संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

12वीं कक्षा में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- 3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-
- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था , प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण /उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की

- उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये प्रवेश दिया जाएगा। प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें ।
- 3.2 विधि रनातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन)में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय /विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए ,प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है ,वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची ,प्रतिशत अंक सहित ,सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण- पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमित दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण -पत्र पर प्रवेश दिया गया है रदद की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम निष्युक्त बाद <u>रथान रिक्स होनेक उन्ह</u>ी ककाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/ – अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से यसून जायेग्री, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुल**़ि के प**श्चेत् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण –पत्र की द्वितीय प्रति (डिप्ट्नीकेट)के आधारपर प्रश्नित विया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में,निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख है, जुप्त होते की स्थिति में स्थाप के स्याप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्था के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण के नारी कर के छु थे। ता किसे संगीतित गोर्मिय रेपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिग / अनुशासनहीनता /तोड़फोड़ आदि ऐसंलिए। है या नर्ज किसे के रूपी कि लिए हैं से स्थापक के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र / छात्र में तिशा करें आवेट किया है
- 4.7 छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाव अदशक्र. 255 20 1/25 दिनांक 0.697014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत रनातक स्तर् की छात्राओं को शिक्षिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुरूक से छूट प्रदान करता है का पालन किया जाये।
- 4.7 छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के अदेश क्रमांक 2653/2014/38 दिनांक 10.09.2014 के अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत रनातक रतर के छात्राओं में शिक्षण शुल्क में छुट प्रदान करता है को पालन किया जाये ।

5. प्रवेश की पात्रता:-

- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा
 - (क) छत्तीसगढ़ के मूल स्थायों क्रिसिगढ़ में स्थायों संपनिशारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरका में शासकीय कर्मचारी ,अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिक्स कंपनी के कर्मचारी, स्ट्रीयकृत वैंकों तथा मारत सरक उत्तर संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है , उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों स्थान उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 रनातक स्तर में नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को रनातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस–सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों के क्रमश: द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 रनातकोत्तर स्तर में नियमित प्रवेश:-

(क) बी.कॅाम./बी.एच.एस-सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम. कॉम./एम.एच.एस-सी ./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर ,बी.एस-सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ख) रनातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के रनातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्वित की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए टी के टी नियम -
- 1. रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- 2. रनातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में एटीकेटी नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों का अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। 5.4 विधि संकाय में नियमित प्रवेश :-
 - (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) विधि रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एल.एल.बी. द्वितीय ,सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यह प्रक्रिया लागू होगी। 5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा:-
 - (क) विधि रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनु.जनजाति/अनु.जाति हेतु 40%) होगी। विधि रनातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पा<u>त्रवासीमी।</u>
 - (ख) AICTE/ NCTE/ BCI/ MCL से अनुमोदित बाद्धारामों में प्रवेश / गंचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगें।

6.समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.वा.एस.ई.) इंडियन काँसिल फॉर सेकेण्डरी एजूडियन (आई.सी.एस.ई.)तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 +2 परीक्ष के समकेष्ट्र मान्य है। प्रा<u>च</u>र्य प्राप्त के सूची स्वीत स्वीतिद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यत: भारत में स्थित विश्वविद्याता जो भू रहे थे विकास कर है। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा मान्य है। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा मान्य है। उनकी सामक समान्य है। उनकी समस्त परीक्षाएं परीक्षाएं मान्य नहीं है।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता जिप्ति विद्यादा था। अस्ति अभि देशक एर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एन वी ई स्यू एफ् (National Vocational Educational Odalification Frame work) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं पहाविद्यालय में र पावक स्तर के पावस्क्रमों में दार्खिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावें।

त क्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आ गाग वित्त मंत्रालय द्वारा अधिस्चित राष्ट्रीय <u>भर्द्रता</u> संरचना (एन.एस.क्यू.एफ.) में मानव जैसा कि आपको ज्ञात है आर्<u>थिक</u> संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यापासायिक क्षिति अहेरी मिरचन्ति प्रमुद्ध कर्म) में सूत्रबढ़ किये गए समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जै सा वि अधिसूचित किया गया है कि यह माण पत्र उपलब्ध कराना है जिसमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के जनाण पुत्र उद न शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूला शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गए एन बी ई क्यू एफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गए और एन बी क्यू ई एफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे है। ऐसे छात्र एन एस क्यू एफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक पूर्व किसी भी पाट्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होगे। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी रनातक पूर्व पाट्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ताकि उन छात्रों को क्षेतिवीय गत्यामकता के लिए सुअवसर मिल सके।

७. बाहुय आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 रनातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम /बी.एस-सी. /बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण

आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा। किसी भी प्रकार की झुठी गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक ,निर्धारित 7.3 शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। 8.
- रुनातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त 8.1 आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- रनातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। 8.2
- विधि रनातक प्रथम /द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अरथायी प्रवेश की पात्रता होगी। 8.3
- उपरोक्त केंडिका 7 के खण्ड 1एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। 8.4
- पुरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी <u>प्रवेश स्वतः नि</u>रस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप 8.5 में मान्य किया जावेगा।

९. प्रवेश हेत्र अर्हताएँ :-

- किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्ष वाते छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी आहे किसी छात्र ने पूर्व सूत्र में आवेदित केश्री में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेत् अनर्ह नहीं माना जावेग रामे मात्र रील त्र क्रिक्स प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रदेश दिया
- ल रहे हो .परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों / 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चाला किया भूल रह हा , पराका भूजन हुन स्ट्रिज भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ,ऐसे छात्र/ अधिकारियों /कर्मचारियों के राथ दुर्व्यवहा छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये गुजार्प
- महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने र प्रमुख रोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है।प्राचार्य इस हेर्ने नेरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अश्वसकीय

प्रवेश हेतु आयु सीमा-

- रनातक रतर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर रतर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेंकी गिन्दु गृहासीमा वे बन्धन में छात्राओं का 3 वर्ष की छूट रहेगी।
- /भारत सरकार के महत्वम /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित आय सीमा का वह बंधन कि परकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वा व अनुशंसित प्रत्याशियो <u>प अन</u>ुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये व अनुशासत प्रत्यात्रका ता कि जिल्हा है। यह स्वर्ध छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये कि कि प्राप्त में प्रेमेन ट स्ट्रिस कि दन के विधि संकाय के विवर्षी के कि ए उपि विधि संकाय के विवर्षी के किए अधि मिंदिन के ने वाले जात्री पर लागू नहीं होगा।
- विधि संकाय के विवर्षी (ग) प्ता 30 वर्ष होगी। अनु. जाति/अ.ज. जा. अन्य पि.वर् के आवेदका के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।
- संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की (ਬ) पात्रता नहीं होगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछडे वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। (ड़) (विधि संकाय को छोड़कर)
- पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता 9.5 नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- किसी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को ,विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के रनातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की 9.6 पात्रता नहीं होगी।

१०. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
 - रनातक एवं रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है ,तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर ,तथा
 - विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 अनारिक्षत एवं आरिक्षत श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

११**. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:**-

- 11.1 प्रथम वर्ष रनातक /रनातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अर्हकारी परीक्षा में उतीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 रनातक /रनातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार ,अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित,भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उतीर्ण ,परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे ,अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/ तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/ तहसील/ जिले की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीस्थत स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/ तहसील/ जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/ विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गु<u>णानुक्रम में</u> आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा। किसी एक विषय की रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य धालम् इस्मिनिरक्त रहेन का हि विषय की रनातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाब्रि

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश मे म्नलिखित रीति से होगा, अर्थात – 🐧 वित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी। (क) अध्ययन या संकाय की प्रविक्रान्य ज्जासुचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी। (ख) अध्ययन या संकाय की प्र त्ये<u>क शा</u>रमा
 - द्धिय य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी। (ग) अध्ययन या संकाय की प्रश्येव परन्त जहां अनुसूचित जनजातियो के लि

रण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है .

- तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपर्शत रूम में पात्र परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट ब्युवेर्शा के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख), तथा (ग) के अधीन आरक्षित सींटे, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पोत्र विद्यार्थियों से मसु जाएगा
- 12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) किया उन्हान किया जाएगा। (2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं भूतपूर्व कार् प्यतंत्रता संग्राम सेनार्टि में के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होक्र-मुज्य <mark>सरकार</mark> द्वारा समय स**र्य पर इस** श्राह पोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क्र. (ख) मथा (म) किर्धान क्या स्थानिक क्या कि आरक्षण के भी
- शत् भ्थान आरक्षित रहेंगे। दिव्यांग श्रेणी 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र ों तथा कि गांग श्रेणी के आवेदकों के लिए ग के आवेदकों के प्राप्तांकों को 19 पतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुकप निर्वारित किया जायेगा।
- 12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सींटे अथवा अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सींटे भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाये गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.4.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the state government to take steps to treat them as socially and educationally backward

cleasses of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कडाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार -

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स -

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढा जावे -

०२ प्रतिशत
०३ प्रतिशत
०४ प्रतिशत
04 प्रतिशत
०५ प्रतिशत
०५ प्रतिशत
10 प्रतिशत
10 प्रतिशत
10 प्रतिशत
15 प्रतिशत

खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /क्षिज़ /रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्ती पगढ़ उच्चा शिक्ष विसाग होतु, आयोजित अंतर जिला ,सम्भाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय

संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियागिता में (क) प्रथम ,द्वितीय,तृतीय स्थान प्रान्तिवाम कुम के सदस्य को

13.2 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी क्रीन्स्नोत्स्कोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रविश् लेने पर

०२ प्रतिशत

ख) व्यक्तिगत प्रतियोगीता <u>नाप्रक्ति स्था</u>न प्राप्तिकरने वालेक

०४ प्रतिशत

10 प्रतिशत

(2) उपयुक्त कंडिक 13.4 (1) उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्यतम्भाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय ,तष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को

०६ प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को

०७ प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

05 प्रतिशत

- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को

15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को

12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रोंकेमध्य यूथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल केसदस्यों को 10 प्रतिशत 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को

10 प्रतिशत

(ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को

12 प्रतिशत

01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक ,खेल एवं युवा कल्याण ,छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो ,एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयाविध के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है ,परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन: प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछलें चार अकादिमक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र के प्रमाण –पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय,तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण –पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय /विषय /ग्रुप परिवर्तन :-

रनातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेंगा ,अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय /ग्रुप परिवर्तन की अनुमित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सिंतबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमित उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय /संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

१५.शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय मे पी.एच-डी. के शोध छात्रों को ढो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयाविध को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्धारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्धार निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्धारा प्रेषित उपस्थित प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्धारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय मे पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन-पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध-प्रबन्ध को उसी महाविद्यालय के प्राचर्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष:-

- 16.1 यदि किसी आवेदक को जाली प्रमाण–पत्रों गलत जानकारी,जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों,प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश प्रवेश मिल गया है तो उसे निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण , पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित तत्वों के सम्बन्ध में गलत जानकारी देने में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को हैं। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय–समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसन/ संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन,उच्च शिक्षा विभाग ,मंत्रालय को होगा।

सन्न 2017–18 के लिए महाविद्यालय की विभिन्न समितियां निम्नान्सार गठित की गई हैं।

सन्न 2017-18 के लिए महााव	गद्यालय का वि	गिभन्न समितिया निम्नानुसार गाउँत व	का गइ है।
1. अनुशासन समिति -		6. श्री पी.के. एक्का	सदस्य
1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक	11. एन्टी रैंगिंग समिति -	11711
2. डॉ. आर.के. जायसवाल	सदस्य	1. डॉ.आर.के. जायसवाल	संयोजक
3. डॉ. आभा जायसवाल	सदस्य	2. डॉ. स्नेहलता श्रीवास्तव	सदस्य
4. डॉ. एस.के. सिन्हा	सदस्य	३. डॉ. एच.डी.महार 3. डॉ. एच.डी.महार	सदस्य
5. श्री पंकज अहिरवार	सदस्य	4. डॉ. राजकमल मिश्रा	
3. श्री वेपका जाहरपार 6. श्री जे.आर. पैकरा	सदस्य सदस्य	4. डा. राजकमला मित्रा 5. डॉ. जसिन्ता मिंज	सदस्य
७. श्री संजीव लकड़ा			सदस्य
	सदस्य	6. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य
 युवा उत्सव सिमिति - श्रीमती सरोज तिर्की 	संयोजक	7. डॉ. मिलिन्द्र सिंह	सदस्य
		8. श्री पंकज कुमार अहिरवार	सदस्य
2. डॉ. जसिंता मिंज	सदस्य	12. पर्यावरण सुरक्षा समिति -	• \
3. डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह	सदस्य	1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक
4. डॉ.तृप्ती विश्वास	सदस्य	2. डॉ. एस.के. सिन्हा	सदस्य
3. ग्रन्थालय/वाचनाल्य समिति -	• •	3. डॉ.माध्वेन्द्र तिवारी	सदस्य
1. डॉ. रशीदा परवेज	संयोजक	4. श्री संजीव लकड़ा	सदस्य
2. डॉ.आर.पी.सिंह	सदस्य	5. डॉ. मिलेन्द्र सिंह	सदस्य
3. डॉ0 विजय लुक्ष्मी शास्त्री	सदस्य	o. ॲ. .वृप्ति विश्वास	सदस्य
4. डॉ. मिलेन्द्र सिंह	सदस्य	्र अजय अल सिंह	सदस्य
5. डॉ. राज किशोर सिंह बघेल	HER CALL	13. सूचना का अधिकार प्रमिति -	
6. श्री चमन कुमार	THE STATE OF THE S	1.9-12	जनसूचना अधिकारी
4. शिक्षक/अभिभावक समिति -		2.डॉ.एस.के.सिन्त	सहा.जन.सूचनाअधिकारी
1. डॉ.जे.एन. पाण्डेय	सयोजक	u क्रमावास समिति -	
	स्दस्य 🗘		संरक्षक
2. समस्त, विभागाध्यक्ष 5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ - 1. श्री आर.के. जायसवाल			सदस्य
1. श्री आर.के. जायसवाल	सं एक	श्रा हेड एवट ए	सदस्य
2. डॉ. एस.एल. श्रीवास्तव		A Jarie	सदस्य
3. डॉ. आर.पी. सिंह			अधीक्षक अधीक्षक
4. डॉ. प्रतिभा सिंह	THE PARTY OF THE P		जवादाक
3. डॉ. आर.पी. सिंह 4. डॉ. प्रतिभा सिंह 5. डॉ. विश्वासी एक्का		A THE PARTY OF THE	संयोजक
3. जा. जिस्ताला एवका 6. महिला उत्पीडन/शिकायत निवारण/लिंग हिंसा	effett trefe		
6. महिला उत्पीडन/शिकायत निवारण/लिंग हिंसा 1. डॉ. रशीदा परवेज	रावासामात -	मा बाजाया	सदस्य
	स्याजक	े 3. डा. राजकमरा गिश्रा	सदस्य
2. डॉ. जिसन्ता मिंज	Tricku	4. श्रीमदी सरीज तिकी	सदस्य
3. डॉ. ममता गर्ग	सदस्य	 डॉॅं. एम.एन. पाण्डेंग 	सदस्य
4. श्रीमति जेरमीना तिर्की	_ संबंध्य 😽 🕽	न्द्र ति शुक्रमेषु डा. म्हार	सदस्य
7. छात्रसंघ समिति -		16. मनावज्ञानक कासारान -	• •
1. डॉ. राज कमल मिश्रा	संयोजक	1. सुश्री तृप्ती विश्वास	संयोजक
2. श्रीमती सरोज तिर्की	नादस्र तिहा	जार किया जिल्ला	सदस्य
३. डॉ.एस.एन.पाण्डेय	्भदस्य प्रधा	व. श्रीमता संगातो पाण्डेय	सदस्य
4. डॉ.विश्वासी एक्का	सप्र	17. महाविद्यालय भोजना समि	
5.डॉ. माधवेन्द्र तिवारी	, सदस्य	1. डॉ.विजय कुमार शर्मा	संयोजक
 युवा साहित्यिक/सांस्कृतिक समिति - 		2. समस्त विभागाध्यक्ष	सदस्य
1. डॉ. आभा जायसवाल	संयोजक	18. परीक्षा समिति-	
2. डॉ. प्रतिभा सिंह	सदस्य	1. प्राचार्य/मुख्य नियंत्रक	अध्यक्ष
3. डॉ. विश्वासी एक्का	सदस्य	2. डॉ. रिजवान उल्ला	नियंत्रक
4. श्री जीतन राम पैकरा	सदस्य	३.डॉ.शोभित् बाज्पेयी	सदस्य
5. श्रीमती संगीता पाण्डेय	सदस्य	4. श्रीमती सरोज तिर्की	सदस्य
 कैरियर गाइडेंस समिति - 		5. श्रीमृती संगीता पाण्डेय	सदस्य
1. डॉ.एस.एन. पाण्डेय	संयोजक	19. क्रय समिति -	
2. श्री सुनील केरकेट्टा	सदस्य	1. डॉ. रिजवान उल्ला	संयोजक
3. श्री जीतन राम पैकरा	सदस्य	2. डॉ. आर.के. जायसवाल	सदस्य
4. डॉ. मिलेन्द्र सिंह	सदस्य	3. श्रीमती सरोज तिूर्की	सदस्य
5. सुनील अग्रवाल	सदस्य	4. डॉ. राजकमल मिश्रा	सदस्य
10. अ.जा/अ.ज.जा./पि.वर्ग छात्रवृत्ति समिति -	31 3 3 T	5. श्री न्ही. खाखा	सदस्य
1. डॉ. विजय कुमार शर्मा	संयोजक	20. उद्यान समिति -	• •
1. जानवजन कुमार रामा 2. डॉ. रिजवान उल्ला	सदस्य	1. श्री सुनील केरकेट्टा	संयोजक
2. डा. रिजवान उल्ला 3. श्रीमती सरोज तिर्की		2. श्री प्रदीप एक्का	सदस्य
	सदस्य	3. डॉ. अजय पाल सिंह	सदस्य
4. डॉ. एच.डी.महार इ. डॉ. एचेन्द्र गौर	सदस्य	4. श्री संजीव कुमार लकडा	सदस्य
5. डॉ.महेन्द्र मौर	सदस्य	5. डॉ. राज किशोर सिंह बघेल	सदस्य
		(9)	

प्रवेश समितियाँ २०१७-२०१८

डॉ. एस.के.त्रिपाठी

प्राचार्य एवं संरक्षक

क्र.	कक्षा	संयोजक	सदस्य	कक्ष/विभाग
1.	एम.ए. हिन्दी	डॉ.(श्रीमती) रशीढ़ा परवेज	_	हिन्दी विभाग
2.	एम.ए.अब्रेजी	डॉ.राजकमल मिश्रा	_	अंग्रेजी विभाग
3.	एम.ए. इतिहास	डॉ.(श्रीमती) ममता गर्ग	_	इतिहास विभाग
4.	एम.ए. अर्थशास्त्र	डॉ. जे.एन.पाण्डेय	_	अर्थशास्त्र विभाग
5.	एम.ए. राजनीति विज्ञान	डॉ. एस.एल.श्रीवास्तव	_	राजनीति विभाग
6.	एम.ए. भूगोल	डॉ. आर.के.जायसवाल	_	भूगोल विभाग
7.	एम.ए. समाजशास्त्र	डॉ. प्रतिभा सिंह	75	समाज शास्त्र विभाग
8.	एम.काम	डॉ. शोमित बद्दारी	11487	वाणिज्य विभाग
9.	एम.एस.सी.भौतिक	डॉ महेक अर्थ	Trapling	्र भौतिक शास्त्र विभाग
10.	एम.एस.सी.रसायन	भीवर्ती संग्रेज दिनी	d	सायन शास्त्र विभाग
11.	एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	- कुँ परज्यान स्वत्य	1 20 1 TO	ववस्पति शास्त्र विभाग
12.	एम. एस.सी. प्राणी शास्त्र	अप्रती जे मिनातिकी		प्रोपी शास्त्र विभाग
13.	एम.एस.सी. गणित	भीपूर्व स्वीति आहेग		भगपित विभाग
14.	एम.ए./एम.एस.सी. मानवशास्त्र	्रम् _{स्ती} ज्य ने लक्ष्ठ	そとり	मनीविज्ञान विभाग
15.	एम.एस. डब्ल्यू	श्री राम्/एकि केरकेट्य	-12	भूगर्भशास्त्र
16.	एल.एल.एम.	ड ॅ. माध् वे न्द्र विवारी	4.5 / V	
17.	बी.ए. प्रारम्भिक	डॉ. आभी जायसवील	1_डॉ. विश्वासी एक्क	हिन्दी विभाग
		()))		
		्राम् <u>ब</u> व	प्रातीप एका	
	_	्रीम् <u>ब</u> व	3. श्री अन्य जाल सिंह	ारोजी
		सा विद्या या	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय बश्मी श	
18.	बी.ए.पूर्व	सा विद्या या	3. श्री अन्य जाल सिंह	नीति विज्ञान
19.	बी.ए. अंतिम	डॉ. म्पता गर्ग	3. श्री अन्य जाल सिंह	निर्मित विज्ञान इति हास वि भाग
19. 20.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक	डॉ. प्रगता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श	नीति विज्ञान इतिहास विभाग वाणिज्य विभाग
19. 20. 21.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व	डॉ. मेपता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य	निर्मित विज्ञान इति हास वि भाग
19. 20. 21. 22.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम	डॉ. मृगता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श	नीति विज्ञान इतिसम विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग
19. 20. 21.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व	डॉ. मेपता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल) डॉ.एस.के. सिन्हा	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य	नीति विज्ञान इतिसम् विभाग वाणिज्य विभाग
19. 20. 21. 22. 23.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल) डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य	नीति विज्ञान इतिसम विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग
19. 20. 21. 22.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल) डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य	नीति विज्ञान इतिसम विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग
19. 20. 21. 22. 23.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित	डॉ. मेपता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल) डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिर्की	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य	नीति विज्ञान इतिसम् विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग रसायन विभाग भौतिकी विभाग
19. 20. 21. 22. 23.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित बी.एस.सी. प्रारम्भिक(बायो) बी.एस.सी.पूर्व (गणित) बी.एस.सी. पूर्व (बायो.)	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिर्की श्रीमती जेरमिना तिर्की डॉ. महेन्द्र मौर्य डॉ.एच.डी. महार	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य	निति विज्ञान इतिसम् विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग रसायन विभाग भौतिकी विभाग वनस्पति विभाग
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित बी.एस.सी. प्रारम्भिक(बायो) बी.एस.सी.पूर्व (गणित) बी.एस.सी. पूर्व (बायो.) बी.एस.सी. अंतिम (गणित)	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल हो. एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिकीं श्रीमती जेरमिना तिकीं डॉ. महेन्द्र मौर्य डॉ.एच.डी. महार डॉ.आर.के.एस. बघेल	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य	नीति विज्ञान इतिस्त्रस्य विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग रसायन विभाग भौतिकी विभाग वनस्पति विभाग प्राणीशास्त्र विभाग
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित बी.एस.सी. प्रारम्भिक(बायो) बी.एस.सी.पूर्व (गणित) बी.एस.सी. पूर्व (बायो.) बी.एस.सी. अंतिम (गणित) बी.एस.सी. अंतिम (गणित)	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिकीं श्रीमती जेरमिना तिकीं डॉ. महेन्द्र मौर्य डॉ.एच.डी. महार डॉ.आर.के.एस. बघेल डॉ. रिजवान उल्ला	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य डॉ. आर.के.एस. बघेल -	नीति विज्ञान इतिस्तर विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग रसायन विभाग भौतिकी विभाग वनस्पति विभाग प्राणीशास्त्र विभाग वनस्पति शास्त्र विभाग वनस्पति शास्त्र विभाग
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित बी.एस.सी. प्रारम्भिक(बायो) बी.एस.सी. पूर्व (गणित) बी.एस.सी. पूर्व (बायो.) बी.एस.सी. अंतिम (गणित) बी.एस.सी.अंतिम (बायो.) एल.एल.बी.प्रथम सेमेस्टर	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिर्की श्रीमती जेरमिना तिर्की डॉ. महेन्द्र मीर्य डॉ.एच.डी. महार डॉ.आर.के.एस. बघेल डॉ. रिजवान उल्ला डॉ. माघवेन्द्र तिवारी	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य	नीति विज्ञान इतिस्मस विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग रसायन विभाग भौतिकी विभाग वनस्पति विभाग प्राणीशास्त्र विभाग वनस्पति शास्त्र विभाग विधि विभाग
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित बी.एस.सी. प्रारम्भिक(वायो) बी.एस.सी. पूर्व (गणित) बी.एस.सी. पूर्व (बायो.) बी.एस.सी. अंतिम (गणित) बी.एस.सी.अंतिम (बायो.) एल.एल.बी.प्रथम सेमेस्टर एल.एल.बी. तृतीय,चतुर्थ	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिकीं श्रीमती जेरमिना तिकीं डॉ. महेन्द्र मौर्य डॉ.एच.डी. महार डॉ.आर.के.एस. बघेल डॉ. रिजवान उल्ला डॉ. माघवेन्द्र तिवारी डॉ. मिलेन्द्र सिंह	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य डॉ. आर.के.एस. बघेल -	नीति विज्ञान इतिस्तन विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग रसायन विभाग भौतिकी विभाग वनस्पति विभाग प्राणीशास्त्र विभाग वनस्पति शास्त्र विभाग वनस्पति शास्त्र विभाग विधि विभाग विधि विभाग
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित बी.एस.सी. प्रारम्भिक(बायो) बी.एस.सी. पूर्व (गणित) बी.एस.सी. पूर्व (बायो.) बी.एस.सी. अंतिम (गणित) बी.एस.सी.अंतिम (बायो.) एल.एल.बी.प्रथम सेमेस्टर एल.एल.बी. तृतीय,चतुर्थ एल.एल.बी.पंचम,षष्टम	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिकीं श्रीमती जेरमिना तिकीं डॉ. महेन्द्र मौर्य डॉ.एच.डी. महार डॉ.आर.के.एस. बघेल डॉ. रिजवान उल्ला डॉ. माघवेन्द्र तिवारी डॉ. मिलेन्द्र सिंह श्री पंकज अहिरवार	3. श्री अन्य नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य डॉ. आर.के.एस. बघेल -	निति विज्ञान इतिस्मन विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग रसायन विभाग भौतिकी विभाग वनस्पति विभाग प्राणीशास्त्र विभाग वनस्पति शास्त्र विभाग विधि विभाग विधि विभाग विधि विभाग
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.	बी.ए. अंतिम बी.काम प्रारम्भिक बी.काम पूर्व बी.कॉम अंतिम बी.एस.सी. प्रारम्भिक(गणित बी.एस.सी. प्रारम्भिक(वायो) बी.एस.सी. पूर्व (गणित) बी.एस.सी. पूर्व (बायो.) बी.एस.सी. अंतिम (गणित) बी.एस.सी.अंतिम (बायो.) एल.एल.बी.प्रथम सेमेस्टर एल.एल.बी. तृतीय,चतुर्थ	डॉ. म्पता गर्ग डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ. सुनील अग्रवाल डॉ.एस.के. सिन्हा श्रीमती संगीता पाण्डेय श्रीमती सरोज तिकीं श्रीमती जेरमिना तिकीं डॉ. महेन्द्र मौर्य डॉ.एच.डी. महार डॉ.आर.के.एस. बघेल डॉ. रिजवान उल्ला डॉ. माघवेन्द्र तिवारी डॉ. मिलेन्द्र सिंह	3. श्री अ म नाल सिंह डॉ. विजय नश्मी श डॉ. महेन्द्र मीर्य डॉ. आर.के.एस. बघेल - - - डॉ.मिलेन्द्र सिंह -	नीति विज्ञान इतिस्तन विभाग वाणिज्य विभाग वाणिज्य विभाग रसायन विभाग रसायन विभाग भौतिकी विभाग वनस्पति विभाग प्राणीशास्त्र विभाग वनस्पति शास्त्र विभाग वनस्पति शास्त्र विभाग विधि विभाग विधि विभाग

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ तथा प्रभार

स्वशासी परिक्षाएँ डॉ.रिजवान उल्ला(परीक्षा नियंत्रक) 1. छात्र संघ प्रभारी राज कमल मिश्रा 2. श्रीमती सरोज तिर्की युवा उत्सव 3. क्रीडा विभाग श्री प्रदीप एक्का(प्रभारी) 4. श्री पंकज अहिरवार एन.सी.सी. 5. राष्ट्रीय सेवा योजना श्री संजीव लकडा (कार्यक्रम अधिकारी इकाई -1) 6. डॉ. तृप्ती विश्वास (कार्यक्रम अधिकारी -2) डॉ0 रशीदा परवेज ग्रंथालय प्राध्यापक प्रभारी 7. श्री जीतन राम पैकरा रेडक्रास 8. महाविद्यालय रजिस्ट्रार श्री व्ही. खाखा 9. ग्रंथपाल 10. भी मनोज्**कश्य**प छात्रावास अधीक्षक 11. क्रमांक 1. 2. 3. 4. 5. विधि संक्रेय 6.

स्नातक<u>ोत्तर</u> (

महाविधालयी विभिन्न कहा और प्रवेश हतु अधिकत्म अदेद शंख्या स्त्र 2016-17

豖.	कक्षा	सीट	ቓ.	कक्षा	सीट
1.	एम. ए. हिन्दी (प्रथम सेमेस्टर)	40	14.	एम.एस.डब्ल्यू (प्रथम सेमेस्टर)	60
2.	एम.ए. अंग्रेजी (प्रथम सेमेस्टर)	60	15.	एम.एस-सी/एम.एँ.मानव शास्त्र(प्रथम सेमेस्टर)	30
3.	एम.ए. इतिहास (प्रथम सेमेस्टर)	30	16.	बी.कॉम. प्रारंभिक	350
4.	एम.ए.अर्थशास्त्र (प्रथम सेमेस्टर)	40	17.	बी.ए. प्रारंभिक	800
5.	एम.ए. राजनीति (प्रथम सेमेस्टर)	30	18.	एलएल.एम. (प्रथम सेमेस्टर)	30
6.	एम.ए. भूगोल (प्रथम सेमेस्टर)	30	19.	बी.एस–सी. प्रारंभिक	
7.	एम.ए. समाजशास्त्र (प्रथम सेमेस्टर)	30		बायोलॉजी	200
8.	एम.कॉम. (प्रथम सेमेस्टर)	40		गणित	150
9.	एम.एस.सी. रसायन (प्रथम सेमेस्टर)	30	20.	विधि प्रथम	320
10.	एम.एस.सी. भौतिक (प्रथम सेमेस्टर)	20	21.	पी.जी.डी.सी.ए.	30
11.	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र (प्रथम सेमे.)	30	22.	बी.सी.ए.	60
12.	एम.एस.सी. वनस्पति (प्रथम सेमेस्टर)	30	23.	डी.सी.ए.	100
13.	एम.एस-सी. गणित (प्रथम सेमेस्टर)	30	24.	बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस	80
			_		

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,अम्बिकापुर (सरगुजा) <u>प्रवेश आवेदन पत्र २०१७-२०१८</u>

आवेदन पत्र क्रमांक	वर्ग- सामान्य/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक			
प्रवेश हेतु आवेदित कक्षा	रवत समूह			
ऐच्छिक विषय- 13				
1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)				
अंग्रेजी (बडे अक्षरों में)	छात्र/छात्राएँ अपनी			
2. पिता/अभिभावक का नाम	नवीनतम पासपोर्ट			
माता का नाम				
जाति व्यवसाय	साईज फोटो चिपकाएँ			
वार्षिक आय	एवं हस्ताक्षर करें			
3. आवेदक की जन्म तिथि (अंको में)	एव हस्ताक्षर कर			
(शब्दो में)				
 आवेदक की जन्म तिथि (अंको में)	(195)			
	र्ड मेलु-लाइंड			
5. आवेदक का स्थानीय पता	Carry St.			
6. अर्हताकारी परीक्षा का नाम	0/			
प्राप्तांक /पूर्णांक	તુર, ા હ			
7. अभिरुचियाँ–1	3			
प्राप्तांक /पूर्णांक				
9. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए	है ? यदि इंग्ती पूर्ण विकरण दें-			
10. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीव उपलब्धियो	कविण्डा -			
11. वैवाहिक स्थिति	<u> </u>			
11. वैवाहिक स्थिति	वेमक्तय अवेदक्के हस्ताक्षर			
नोट- समस्त कक्षाओं में समस्त शिक्षणिक प्रमाण-पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रवेश	मान्य नहीं होगा।			
संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-				
1. स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति) 1 2 2	3			
2. चरित्र प्रमाण -पत्र (मल प्रति)				
. अर्हताकारी परीक्षा कीं अंकसूची की सत्यापित प्रति (द्रो प्रति.)				
5. छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुथे वर्ग के कमेचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण 6. अन्य प्रमाण –पत्र	I-पत्र का मूल प्रात (याद आवश्यक हा ता)			
 जन्म तिथि प्रमाण – पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति) 				
8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि				
प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जाँचोपरांत अस्थायी प्रवेश की कार्याल	यीन उपयोग हेतु :-			
अनुशंसा की जाती है। दिनांक तक शासक	य शुल्क रसीद क्रराशिराशि			
प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा।	कीय शुल्क रसीढ़ क्रराशिराशि			
प्रवेश संयोजक दिनांक	शुल्क लिपिक			

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता /करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिं सात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं 'लूंगा/लूंगी। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं 'चल रहा हैं। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। यदि मैं अव्यवस्था अनुशासनहीनता ,हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया गया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। जावेदक के हस्ताक्षर विनांक अवेदक के हस्ताक्षर यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य/पाल्या (नाम) द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। मैने नहानियालय के नियमों को अध्ययन के नियमों को अध्ययन को लियों से उपस्थित तथा दिन्हों जी स्वीत अध्ययन के नियमों को अध्ययन के नियम के सहयोग देता हैं। ए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय के सहयोग देता हैंग्रा।	में	ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन
यदि मैं अञ्चवस्था अनुशासनहीनता ,हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के बुराचरण का ढोषी पाया गया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। अावेदक के हस्ताक्षर खिनांक	कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता /करती हूं कि मैं किसी भी अञ्यवस्थ	ग्रा या अनुशासन हीनता एवं हिं सात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष
निरस्त किया जा सकेगा। जावेदक के हस्ताक्षर एरान्य जानकारियाँ सत्य हैं। मैंने कहावियाक्य के नियमी के अध्ययन करता हूँ कि आचरण, कक्षाओं में उपस्थित तथा दिन्निनी, स्वति अस्त्रिया के काम में स्थित के सहयोग देता देवा।	या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नर्ह	ीं चल रहा हैं । मेरे द्धारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है।
विनांक	यिव मैं अञ्यवस्था अनुशासनहीनता ,हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रव	ार के ढुराचरण का ढोषी पाया गया/पाई गई तो मेरा प्रवेश
विनांक	निरस्त किया जा सकेगा।	
में	दिनांक	आवेदक के हस्ताक्षर प्राक्ति
द्धारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। मैं ने नहाविद्यान्य के नियमों का अध्ययन कर विद्या है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दिन्हिनी, स्विति अध्ययना के उन्हें ये मेहिशा है के (विश्व नथा इसके लिए मैं पूर्णत: उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता दूँगा।	95	यह घोषणा करता हूँ कि
आचरण,कक्षाओं में उपस्थिति तथा दिन्हिनी, हर्न ि अ टियुडा ए के उन्हेंय मे हिना एक (वर्ष तथा इसके निए मैं पूर्णत: उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता <u>ह</u> ूँगा।	मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य/पाल्या (नाम)	
महाविद्यालय को सहयोग देता हूँगा।	द्धारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। मैंने महाविद्यालय के नियमी का अध्यय	ने कर लिया है। म राविद्यालय में उसके अध्ययन काल में
	्राच्या या प्र	

विश्वविद्यालय के अनुदेश -

पूरा नाम.....

मोबाईल/फोन नं.....

दिनांक.....

छात्रों को सतत् ध्यान रखना होगा कि अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे अन्यथा उनका नाम तत्काल महाविद्यालय प्रवेश सूची से निकाल दिया जावेगा ।

कार्यालय (ग्रंथालय),प्राचार्य

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ.ग.) ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र २०१७-२०१८

सदस्य सस्था	राइस काड					
	संख्या					1
छात्र /छात्रा का नाम			कका		पासपोर्ट	
पिता श्री					साईज	
विषय/संकाय		से	वारत			
प्रवेश रसीढ़ क्रमांक:– श	ासकीय		जातकोत्तर		फोटो	
दिनांक		श्य र	जित्त की किया है। वार्ड संख्या थाने		संलग्न करें।	
वर्तमान पता:- मकान नं		प्रकाय	गर्ड संख्या	7		
ग्राम/शहर	<u> </u>		थान			
तहसील	SE			10 mg/m		
जिला	 	न कोड		ी. किंक व	बर	
		The same		ोब इल चेंबे		
स्थायी पता:- मकान नं.	£ 1		AL SIE			
ग्राम/शहर						
तहसील			प्रोस्ट आं	फिया		
जिला		न कोडोनि द	-ETUI	फोन न	बर	
		711-01		पीबाइल नेषर		
ਸੈ	र् सा	विद्यान्य	_	तयं कि	[
वर्ग		<u> </u>	। । प्रमुष		विषय में प्रवेश प्राप्त	
	नेयमित सदस्य चनना चाह	हता/चाहती हूँ।			3	

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूँ। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूँ। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूँ। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात्-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूँगा। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रू. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अद्धा करूँगा/करूँगी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखूंगा। विद्रूप होने पर अथवा पुस्तकें / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मूल्य / पुस्तक गुमने के 7 दिवस के भीतर डाक व्यय सहित राशि जमा करूँगा /करूँगी।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर जांच कर घर ले जाउँज्ञा/जाउँज्ञी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अविध के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व की पुस्तकें नहीं है।

छात्र /छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध-पत्र पिता/पालक द्वारा भरा जावे

मै	आत्मज /आत्मजा श्री
	কধা
	ı–सीमा के भीतर वापिस जमा करता रहेगा/रहेगी तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक
ढंग से रख–रखाव करता रहेगा/रहेगी। परीक्षा के एक माह प	पूर्व पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा /होगी।



प्राचार्य/रजिस्ट्रार

ग्रंथालय

ANNEXURE I AFFIDAVIT BY THE STUDENT

	I
	registration/ enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs/Ms
	institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Istitutions 2009 (hereinafter called the Regulations) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2)	I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3)	I have also, in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
4)	I here by solemnly aver and undertake that
	a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
	b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5)	I here by affirm that if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that my be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
6)	I hereby declare that I Have not been expelled or debarred from admission in any institution in the county on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, In case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.
	Declared thisday ofmonth ofyear.
	Signature of deponent
	Name
	<u>VERIFICATION</u>
	Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and do part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.
Verif	fied at(Place) on this the(day) of(month)(year)
	Signature of deponent
	Solemnly affirmed and signed in my presence on this the
	OATH COMMISSIOR

ANNEXURE II AFFIDAVIT BY PARENT/ GUARDIAN

		(full name of parent/ guardian) father/mother/		
		student with admission/ registration/		
		(name of institution)		
		curbing the Menace of Ragging in Higher Educational ons) carefully read and fully understood the provisions		
2)	I have in particular perused clause 3 of the Regula	tions and am aware as to what constitutes raggine.		
3)				
4)	I hereby solemnly aver and undertaken that			
	a) My ward will not indulge in any behavior or act t Regulations.	hat my be constituted as ragging under clauses 3 of the		
	b) My ward will not participate in or abet or proparty be constituted as ragging under clause 3 of the	agate through any act of commission or omission that Regulations.		
5)	I hereby affirm that if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, with out prejudice to any other criminal action that my be taken against me under any penal law or any law for the tiem being in force.			
6)	country on account of being found guilty of abettin	ed or debarred from admission in any institution in the g or being part of a conspiracy to promote, ragging, and to be untrue, I am aware that my admission is liable to		
	Declared thisday ofm	onth ofyear.		
		Signature of deponent		
		Name		
		Address		
		Telephone/ M.No		
	<u>VERIFIC</u>	<u>ATION</u>		
is fa	Verified that the contents of this affidavit are true to alse and nothing has been concealed or misstated the	o the best of my knowledge and no part of the affidavit rein.		
Veri	rified at(day) on this the(day) or	of (month) (year)		
		Signature of Deponent		
	Solemnly affirmed and signed in my presence	ee on this the(day) of		
	(month)(year	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

OATH COMMISSIOR